

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

डॉ दिनेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर – भौतिक विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा

शोध सारांश

वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की सफलता निर्धारित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "मानवता के छठे हिस्से का सतत विकास विश्व और हमारे सुंदर ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें चुनौतियाँ कम होंगी और आशा अधिक होगी; और सफलता के प्रति अधिक आश्वस्त होगी।" एसडीजी पर भारत की प्रगति में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे 'जनता को प्राथमिकता' देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं कि 'कोई भी पीछे न छूटे'।

मुख्य शब्द – सतत विकास लक्ष्य , पर्यावरण , गरीबी , आर्थिक असमानता

भूमिका

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करते हैं जो सतत भविष्य के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है और विश्व भर के देशों की प्रतिक्रियाओं को संगठित करता है। भारत, जो संपूर्ण मानव जाति के छठे हिस्से का घर है, इस ग्रह और इस पर मौजूद सभी जीवों के सतत भविष्य की दिशा में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी से भलीभांति परिचित है। देश ने एसडीजी को अपनाने, लागू करने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कदम उठाए हैं।

विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले संघीय देश के रूप में, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन की अधिकांश जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, जिनमें से कई वास्तव में अन्य देशों की तुलना में अधिक आबादी वाली हैं। उदाहरण के लिए, अकेले उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी लगभग 2 करोड़ है। ऐसे में, भारत में एसडीजी का

स्थानीयकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत और राज्यों को अधिक धनराशि हस्तांतरित करने के अनुरूप, भारत में सतत विकास के 2030 एजेंडा की सफलता सुनिश्चित करने में राज्य प्राथमिक हितधारक हैं।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। ये सभी लक्ष्य "कोई भी पीछे न छोड़े" के सिद्धांत पर आधारित हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में "विकसित" और "विकासशील" देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को हासिल करने होंगे।

लक्ष्य	उद्देश्य	विवरण
लक्ष्य -1	शून्य गरीबी	गरीबी के सभी रूपों की सम्पूर्ण भारत से समाप्ति।
लक्ष्य -2	शून्य भुखमरी	भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
लक्ष्य -3	उत्तम स्वास्थ्य तथा खुश हाली	सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
लक्ष्य -4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
लक्ष्य -5	लैंगिक समानता	लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
लक्ष्य -6	स्वच्छ जल तथा स्वच्छता	सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -7	सस्ती तथा प्रदुषण-मुक्त ऊर्जा	सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
लक्ष्य -8	उत्कृष्ट कार्य तथा आर्थिक वृद्धि	सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
लक्ष्य -9	उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी सुविधाएँ	लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।

लक्ष्य - 10	असमानताओं में कमी	देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
लक्ष्य - 11	संवहनीय शहर तथा समुदाय	सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
लक्ष्य - 12	संवहनीय उपभोग तथा उत्पादन	स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
लक्ष्य - 13	जलवायु कार्रवाई	जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
लक्ष्य - 14	जलीय जीवों की सुरक्षा	स्थायी सतत विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
लक्ष्य - 15	स्थलीय जीवों की सुरक्षा	सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव-विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
लक्ष्य - 16	शांति, न्याय तथा सशक्त संस्थाएँ	सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
लक्ष्य - 17	लक्ष्य हेतु भागीदारी	सतत विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

उपर्युक्त सतत विकास लक्ष्य मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को आवरण देने के लिए बनाए गए हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं, तो दुनियाभर में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हें जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।

प्रमुख चुनौतियाँ

संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के रूप में 2015 के बाद का विकास एजेंडा आया, जिस पर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सितंबर 2015 में सहमति व्यक्त की थी। एसडीजी ने गरीबी उन्मूलन से आगे बढ़कर "किसी को पीछे न छोड़ें" के सिद्धांत पर विशेष ध्यान देने

का वादा किया और इसमें समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस प्रकार, एसडीजी केवल एमडीजी का विस्तार नहीं बल्कि उनका विस्तार हैं। एसडीजी पर संयुक्त राष्ट्र के एक दस्तावेज़ 'हमारे विश्व का परिवर्तन: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' में विकास के लिए 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं जो सार्वभौमिक, एकीकृत और अविभाज्य हैं। वैश्विक स्तर पर, एसडीजी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए 300 संकेतक विकसित किए गए हैं।

यद्यपि राष्ट्रीय सरकारें सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थीं, फिर भी उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे 2030 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों की जिम्मेदारी लें और उन्हें अपने राष्ट्रीय नीति ढांचे में एकीकृत करें।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक भागीदार देश को घरेलू स्रोतों, निजी क्षेत्र से प्राप्त धन और अवैध वित्तीय प्रवाह एवं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के माध्यम से अपने संसाधन जुटाने होंगे। सतत विकास लक्ष्यों ने भारत को विकास के मोर्चे पर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को संरेखित करने, बजट बढ़ाने और राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय सरकारों की इन्हें लागू करने की तैयारियों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर प्रदान किया है।

इस दिशा में, भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपने राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और विज्ञान, रणनीति और कार्य योजना जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज जारी किए हैं। इसी तरह के प्रयास राज्य और जिला स्तर पर भी किए जाने हैं। विज्ञान दस्तावेज में 2030 तक एसडीजी के लिए प्रस्तावित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था, जिसका उद्देश्य भारत को एक समृद्ध, उच्च शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त, ऊर्जा संपन्न, पर्यावरण के अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र में बदलना था। अभी तक, केंद्र सरकार द्वारा तैयार विज्ञान दस्तावेज सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे तैयार करके जारी कर दिया है। यह दस्तावेज दीर्घकालिक विज्ञान को लागू करने योग्य नीतियों में बदलने पर केंद्रित है। कार्य योजना सरकार के लक्ष्यों को 2019 तक हासिल किए जाने वाले लक्षित कार्यों में बदलने में मदद करेगी। यह राष्ट्रीय विकास योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 14वें वित्त आयोग पुरस्कार अवधि के पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार और चुनिंदा राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं और कार्यक्रमों का मानचित्रण किया गया है, लेकिन जिला/स्थानीय सरकार स्तर पर कोई ढांचा तैयार नहीं किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों और उनसे संबंधित उद्देश्यों की निगरानी के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र

एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों जैसे अन्य हितधारकों के परामर्श से 306 राष्ट्रीय संकेतकों वाला एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (NIF) विकसित किया है। NITI आयोग ने संयुक्त राष्ट्र भारत के साथ साझेदारी में दिसंबर 2018 में एक SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट (14 सतत विकास लक्ष्यों के 62 संकेतकों वाला एक समग्र सूचकांक) और एक डैशबोर्ड विकसित किया। डैशबोर्ड विकास संकेतकों के एक चयनित समूह पर रैंकिंग करके विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का आकलन करता है। राज्यों और स्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करते हुए अपनी स्थानीय स्तर की प्राथमिकताओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए इसी तरह के प्रयास करने होंगे।

नीति आयोग और कुछ राज्यों ने नीतिगत पहल की हैं, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित संस्थानों और प्रक्रियाओं में संभावित बाधाओं को दूर करने और लाभों तक पहुंच को प्रभावित करने में कई चुनौतियां हैं। सर्वप्रथम, एसडीजी के स्थानीयकरण के संदर्भ में, नीति और बजट निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और रणनीति की निगरानी की प्रक्रिया राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर एसडीजी को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। इसके अलावा, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय सरकारों को निधि, कार्य और पदाधिकारी (3F) का हस्तांतरण अधिकांश राज्यों में अभी भी एक दूर का सपना है। इसलिए, स्थानीय सरकारें (ग्रामीण और शहरी) जन भागीदारी के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों के लिए जन योजना और स्थानीय बजट तैयार करने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होने के बावजूद, नीति आयोग ने राज्यों को 3F को स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।

दूसरे, नीति आयोग की तरह, राज्यों के योजना विभागों/बोर्डों को राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वित्तीय और मानव संसाधनों की पर्याप्तता और विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रियाओं के कारण, कई राज्य अभी तक एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतियों को फिर से तैयार करने और बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं।

तीसरा, घरेलू संसाधनों को जुटाने में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केंद्रीय बजट व्यय का हिस्सा 2014-15 में 13.3 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 13.2 प्रतिशत (बजट अनुमान) हो गया है। केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधनों को जुटाने की अपर्याप्त क्षमता के कारण राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये सरकारें काफी हद तक उपरोक्त सरकारों से प्राप्त धन पर निर्भर हैं। साथ

ही, केंद्र और राज्य सरकारों की विकास नीतियां और बजट मद सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं।

चौथा बिंदु यह पाया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अग्रिम पंक्ति के सेवा प्रदाताओं, स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मचारियों और सहायकों तथा रसोइयों के मानदेय जैसी सेवाओं की इकाई लागत में अपर्याप्तता रही है। इससे कई प्रमुख कार्यक्रमों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता खराब होती है।

पांचवां कारण यह है कि कई वजहों से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर निधियों की रिलीज में देरी के कारण निधि प्रवाह में भी विलंब हुआ है। संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों की प्रणालीगत कमजोरी (संस्थागत क्षमता) निधियों के कम उपयोग का कारण बनती है। मानव संसाधन, प्रशिक्षण और क्षमता की अपर्याप्तता योजनाओं और कार्यक्रमों की खराब योजना और कार्यान्वयन को जन्म देती है। अधिकांश संबंधित विभागों में कर्मचारियों की कमी है और ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में भी रिक्तियों की दर अधिक है। इन मुद्दों का योजना प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और निगरानी को कमजोर करता है।

छठवीं बात यह है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर विकास संकेतकों की अपर्याप्त तैयारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत परिणामों की निगरानी एक प्रमुख चुनौती रही है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में परिणामों की अनियमित रिपोर्टिंग होती है और डेटा तैयार करने की क्षमता का अभाव है। अंत में, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए विकास लाभों की निगरानी और ट्रैकिंग के ढांचे में हाशिए पर पड़े समुदायों को शामिल करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि सामाजिक समावेशन सतत विकास लक्ष्यों के तीन स्तंभों में से एक है। स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की योजना और कार्यान्वयन में हाशिए पर पड़े समुदायों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) में जागरूकता की कमी और उनकी भागीदारी भी कम है।

उपर्युक्त चुनौतियों से पार पाने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों पर वर्तमान नीतिगत पहलों को नीतिगत ढांचे में बदलाव लाने, नए संस्थानों और विकास कार्यक्रमों का निर्माण करने, और राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रति इकाई लागत को बेहतर बनाने और उन्हें पर्याप्त वेतन देने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बेहतर

कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की पर्याप्तता और उनके प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर एसडीजी के लिए निगरानी संकेतक और डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है। यदि नीति आयोग एसडीजी के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन पर बेहतर स्थानीय स्तर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए योजना विभागों और जिला योजना समितियों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों, विचारकों, अनुसंधान संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ नियमित रूप से संपर्क करे तो यह उपयोगी होगा।

सन्दर्भ सूची

- [1].सरकार प्रमुख कार्यक्रम: बनाना में भारत और डिजिटल भारत। उपलब्ध से
- [2].<https://unacademy.com/lesson/government-flagship-programs-make-in-india-and-digital-india-for-upsc-cseias-exam/L26JW6RP>
- [3].india-for-upsc-cseias-exam/L26JW6RP
- [4].लू वार्ड, नाकिसेनोविक एन, वीड्सबेक एम,स्टीवंस ए.एस. नीति: संयुक्त राष्ट्र के लिए पांच प्राथमिकताएं टिकाऊ
- [5].विकास लक्ष्य। प्रकृति। 2015 अप्रैल 23; 520(7548):432-3.
- [6].प्रतिवेदन का the तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर फाइनेंसिंग के लिए विकास। 2015. उपलब्ध
- [7].<http://www.se.undocs.org/A/CONF.227/20>
- [8].भट्टाचार्य एस, पात्रो एसए, वीएड्यानाथन वी, राठी एस। स्थानीयकरण the लिंग समानता लक्ष्य
- [9].दक्षिण एशिया में शहरी नियोजन उपकरणों के माध्यम से।
- [10]. अभियान डब्ल्यूएन. वादे और वास्तविकता.
- [11]. कुरियन ओसी. ओआरएफ प्रासंगिक कागज़ 104:काबू डेटा चुनौतियां में ट्रेकिंग भारत का स्वास्थ्य एवं पोषण लक्ष्य। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन; 29 दिसंबर 2016।
- [12]. [एवाणीकपूर](http://www.business-standard.com) .चार चुनौतियां व भारत चेहरे में को प्राप्त करने टिकाऊ विकास लक्ष्य। 2015. ए [www](http://www.business-standard.com) से उपलब्ध. [business-standard.com](http://www.business-standard.com) > पंडित्री > सोशल स्पेक्स
- [13]. [भारत है उच्चतम जनसंख्या का गरीब: डब्ल्यू दुनिया किनारा। The हिंदू व्यापार रेखा](http://www.thehindu.com) 2016 अक्टूबर 3.
- [14]. उपलब्ध से <https://www.pressreader.com/india/the-hindu-business-lain/.../281865822968167>
- [15]. यूनाइटेड एन। The एमसहस्राब्दी डी विकास लक्ष्य प्रतिवेदन 2014. नयायॉर्क: यूनाइटेड राष्ट्र। 2014.

- [16]. निवेश करना मैं, योजना एए. दुनिया निवेश रिपोर्ट 2014. एउपलब्ध से
- [17]. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
- [18]. वही, 12.
- [19]. हैन्सन के, रैनसन एमके, ओलिवेरा-कूज़ वी, मिल्स एका विस्तार पहुँच को प्राथमिकता स्वास्थ्य हस्तक्षेप: ए रूपरेखा के लिए समझ the प्रतिबंध को आनुपातिक दरों से बढ़ाएँ। पत्रिका का अंतर्राष्ट्रीय विकास. 2003 जनवरी 1; 15(1):1.
- [20]. सिफ हाइडे-ओटोसेन। आईआईएजी का निर्माण। मो इब्राहिम फाउंडेशन 2016।
ए[https://www](https://www.mo.ibrahim.foundation/news/2016/constructing-the-iiag/) से उपलब्ध है।[mo.ibrahim.foundation/news/2016/constructing-the-iiag/](https://www.mo.ibrahim.foundation/news/2016/constructing-the-iiag/)
- [21]. 19. सेलीन डोरोथी एमबी. कार्बन उत्सर्जन-एक उभरते मुद्दा में निगमित शासन।
- [22]. जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट थॉट। 2011; 2(3):451-61.
- [23]. स्कून्समै। नई पारिस्थितिकी और सामाजिक विज्ञान: क्या संभावनाएं हैं? के लिए एक फलदायी सगाई?।
- [24]. मानवशास्त्र की वार्षिक समीक्षा. 1999 अक्टूबर; 28(1):479-
- [25]. Williams colin C. “the diverse and contested meaning of sustainable development” june 2004
- [26]. Strong and Sunstable consumption governance- precondition for a degrowth path. 20. Morelli John (2011) environmental sustainability : a definition for environmental sustainability
- [27]. Toman Michael A. “the difficulty in defining sustainability” resource for the future 1992
- [28]. Seventh international environmental management hardship leadership symposium 2008
- [29]. Preface ecosystems and human well-being. A synthesis report of the millennium ecosystem 2005
- [30]. Alvarez c. Search table agriculture and value network 2011 27. Adams W. M. 2006. Future of sustainability: rethinking environmental and development in the 21st century.